आदेश पत्रक

न्यायालय : उपजिलाधिकारी
मण्डल :अयोध्या,जनपद :सुल्तानपुर,तहसील :सदर
वाद संख्या :-5962/2023
कंप्यूटरीकृत वाद संख्या :-T202304680605962
गनपत सहाय डिग्री कालेज सुल० द्वारा प्रबन्धक ओम प्रकाश पाण्डेय बनाम उ०प्र० सरकार।
अंतर्गत धारा:- 80, अधिनियम :- उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता - 2006

निर्णय

प्रस्तुत वाद गनपत सहाय डिग्री कालेज सुलतानपुर द्वारा प्रबन्धक ओम प्रकाश पाण्डेय सुत श्री गिरीश प्रसाद पाण्डेय निवासी पी0डब्लू0डी0 आफिस निकट सिविल लाइन परगना मीरानपुर तहसील सदर जिला सुलतानपुर ने गाटा संख्या 331ख/0.0150हे0, 343/0.9310हे0, 371मि0/0.6510हे0, 336/0.2420हे0, 326मि0/0.1010हे0 340ख/0.0970हे0, 341क/0.5770हे0, 345मि0/0.472हे0, 345मि0/0.0190हे0 भूमि स्थित ग्राम पयागीपुर परगना मीरानपुर तहसील सदर जिला सुलतानपुर को अकृषिक भूमि घोषित करने हेतु प्रस्तुत किया है। वाद पत्र के साथ नकल खतौनी, नक्शा नजरी तथा स्थल की फोटो, दाखिल किया गया है।

पत्रावली स्थलीय जांच आख्या हेतु तहसीलदार सदर को प्रेषित की गयी। निर्धारित प्रारूप पर तहसीलदार सदर की जांच आख्या दिनांक 11.11.2022 पत्रावली में संलग्न है। तहसीलदार सदर ने गनपत सहाय डिग्री कालेज सुलतानपुर द्वारा ओम प्रकाश पाण्डेय सुत श्री गिरीश प्रसाद पाण्डेय निवासी पी0डब्लू0डी0 आफिस निकट सिविल लाइन परगना मीरानपुर तहसील सदर जिला सुलतानपुर द्वारा उ0प्र0 राजस्व संहिता 2006 (यथा संशोधित, 2016) की धारा 80(1) के अन्तर्गत अकृषिक घोषणा हेतु प्रस्तुत गाटा संख्या 331ख/0.0150हे0, 343/0.9310हे0, 371मि0/0.6510हे0, 336/0.2420हे0, 326मि0/0.1010हे0 340ख/0.0970हे0, 341क/0.5770हे0, 345मि0/0.472हे0, 345मि0/0.0190हे0 भूमि को गैर--कृषिक प्रयोग के लिए घोषणा की संस्तुति की गयी है।

उ0प्र0 राजस्व संहिता नियमावली 2016 के नियम 85(2) के अन्तर्गत जिलाधिकारी सुलतानपुर द्वारा निर्धारित सर्किल दर के अनुसार एक प्रतिशत उदघोषणा शुल्क की धनराशि तथा उ0प्र0 राजस्व संहिता नियमावली 2016 के नियम 191 उपनियम (2) तथा परिशिष्ट--1 के कालम 13 के अनुसार न्याय शुल्क के रूप में देय स्टाम्प के आगणन हेतु उपनिबन्धक सदर, सुलतानपुर से आख्या प्राप्त की गयी।

उपनिबन्धक सदर की आख्या के आधार पर वाद भूमि का सर्किल दर के अनुसार एक प्रतिशत उदघोषणा शुल्क की धनराशि मु0 855760.00 रू0 एवं न्याय शुल्क मु0 855760.00 रू0 आगणित कर प्रस्तुत किया गया है।

तहसीलदार सदर एवं उपनिबन्धक सदर की आख्या के आधार पर वाद भूमि को अकृषिक भूमि घोषित किये जाने हेतु नियमानुसार उदघोषणा शुल्क के रूप में देय धनराशि एवं न्याय शुल्क के रूप में देय स्टाम्प अदा करने हेतु वादी को प्रारूप 25 (ख) पर नोटिस जारी किया गया।

वादी द्वारा उदघोषणा शुल्क की धनराशि मु0 855760.00 रू0 (मु0 आठ लाख पचपन हजार सात सौ साठ रूपया मात्र) जमा कोष कर चालान की मूल प्रति दाखिल किया है तथा 855760.00 रू0 (मु0 आठ लाख पचपन हजार सात सौ साठ रूपया मात्र) का स्टाम्प न्याय शुल्क के रूप में दाखिल किया गया है।

मैंने पत्रावली पर उपलब्ध निर्धारित प्रारूप पर तहसीलदार सदर की जांच आख्या एवं अभिलेखीय साक्ष्यों का अवलोकन किया गया, जिससे स्पष्ट है कि ग्राम पयागीपुर परगना

आदेश पत्रक

न्यायालय : उपजिलाधिकारी

मण्डल :अयोध्या,जनपद :सुल्तानपुर,तहसील :सदर
वाद संख्या :-5962/2023
कम्प्यूटरीकृत वाद संख्या :-T202304680605962
गनपत सहाय डिग्री कालेज सुल० द्वारा प्रबन्धक ओम प्रकाश पाण्डेय बनाम उ०प्र० सरकार।
अंतर्गत धारा:- 80, अधिनियम :- उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता - 2006

मीरानपुर तहसील सदर जिला सुलतानपुर की उद्धरण खतौनी वर्ष 1428–1433 फ0 के खाता संख्या 74 की गाटा संख्या 331ख/0.0150हे0, 343/0.9310हे0, 371मि0/0.6510हे0, 336/0.2420हे0, 326मि0/0.1010हे0 व खाता संख्या 171 की गाटा संख्या 340ख/0.0970हे0, 341क/0.5770हे0, 345मि0/0.472हे0 व खाता संख्या 172 की गाटा संख्या 345मि0/0.0190हे0 पर गनपत सहाय डिग्री कालेज सुलतानपुर द्वारा ओम प्रकाश पाण्डेय सुत श्री गिरीश प्रसाद पाण्डेय निवासी पी0डब्लू0डी0 आफिस निकट सिविल लाइन परगना मीरानपुर तहसील सदर जिला सुलतानपुर का नाम संक्रमणीय भूमिधर खातेदार के रूप में अंकित है। तहसीलदार सदर द्वारा वाद भूमि गाटा संख्या 331ख/0.0150हे0, 343/0.9310हे0, 371मि0/0.6510हे0, 336/0.2420हे0, 326मि0/0.1010हे0 340ख/0.0970हे0, 341क/0.5770हे0, 345मि0/0.472हे0, 345मि0/0.0190हे0भूमि को वादी के अंश को गैर–कृषिक भूमि घोषित किये जाने की संस्तुति की गयी है। वादी द्वारा वाद भूमि को गैर–कृषिक भूमि घोषित किये जाने हेतु स्वयं का शपथ–पत्र दाखिल किया गया है। तहसीलदार सदर की जांच आख्या एवं पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर उ0प्र0 राजस्व संहिता 2006 की धारा 80(1) में वर्णित प्राविधानों के अनुसार वाद भूमि को अकृषिक भूमि घोषित किये जाने में कोई विधिक बाधा नहीं प्रतीत होती है।

आदेश

अतः उपरोक्त जांच आख्या एवं अभिलेखीय साक्ष्यों के आलोक में आदेश किया जाता है कि ग्राम पयागीपुर परगना मीरानपुर तहसील सदर जिला सुलतानपुर की उद्धरण खतौनी वर्ष 1428–1433 फ0 के खाता संख्या 74 की गाटा संख्या 331ख/0.0150हे0, 343/0.9310हे0, 371मि0/0.6510हे0, 336/0.2420हे0, 326मि0/0.1010हे0 व खाता संख्या 171 की गाटा संख्या 340ख/0.0970हे0, 341क/0.5770हे0, 345मि0/0.472हे0 व खाता संख्या 172 की गाटा संख्या 345मि0/0.0190हे0 भूमि **अकृषिक भूमि घोषित किया जाता है।** तदनुसार उद्धरण खतौनी में आदेश की प्रविष्टि वाले कालम में यह आदेश अंकित हो, तथा भविष्य में बनने वाली खतौनियों में भी अंकित होता रहेगा। वाद भूमि भू–राजस्व से मुक्त किया जाता है। आदेश की एक प्रति उप निबन्धक सदर को आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजी जाए। परवाना अमलदरामद जारी हो। पत्रावली बाद आवश्यक कार्यवाही दाखिल दफ्तर हो।

दिनांक :– 16/08/23

(चन्द्र प्रकाश पाठक),
उपजिलाधिकारी सदर,
सुलतानपुर

सत्य–प्रतिलिपि

रीडर
उप जिलाधिकारी सदर
सुलतानपुर
16/8/23

प्रार्थना पत्र संख्या...335.....
प्रार्थना पत्र दिनांक...16/8/23
मूल टिकट...13..........
तैयारी का दिनांक...16/8/23
वितरण दिनांक...16/8/23
जारी करने का दिनांक...16/8/23